



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 04.06.2025

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करने वाले आरोपी अभियुक्त को 07 वर्ष के साधारण कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित ।

कार्यवाही:-

दिनांक 18.12.2021 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त अफजाल पुत्र मौसम निवासी ग्राम पाडला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से 08 बने / अधबने तमंचे व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए । इस सम्बंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 818/21 धारा 5/25 आयुध अधिनियम बनाम अफजाल उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

इस अभियोग में बिजनौर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 04.06.2025 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 818/21 धारा 5/25 आयुध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त अफजाल पुत्र मौसम निवासी ग्राम पाडला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को 07 वर्ष के साधारण कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता –

अफजाल पुत्र मौसम निवासी ग्राम पाडला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना हल्दौर

दिनांक 04.06.2025

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 145/2025 धारा 125/352 बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 03.06.2025 को वादिया सुबोध पत्नी हेमेन्द्र निवासी ग्राम खासपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ने थाना हल्दौर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.रिसभ पुत्र वीरभान निवासी ग्राम खासपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर व 2.विशाल पुत्र संजीव निवासी ग्राम खासपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा घर में घुसकर वादिया के साथ गाली गलौच करते हुए तमंचे से फायर किया व जान से मारने का प्रयास किया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 145/2025 धारा 125/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही:-

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तों 1.रिसभ पुत्र वीरभान निवासी ग्राम खासपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा 315 बोर व दो जिन्दा कारतूस 315 बोर व अभियुक्त 2.विशाल पुत्र संजीव निवासी गण ग्राम खासपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । अवैध शस्त्र बरामदगी के आधार पर अभियोग में 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1.रिसभ पुत्र वीरभान निवासी ग्राम खासपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 2.विशाल पुत्र संजीव निवासी ग्राम खासपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

बरामदगी:-

02 अवैध तमंचे 315 बोर व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 श्री सोहनलाल शर्मा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 श्री अमूल मिश्रा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 3.हे0का0 151 उदयवीर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 4.का0 1776 प्रवीण शर्मा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 5.का0 2459 राजीव कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नजीबाबाद

दिनांक 04.06.2025

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0स0 167/2025 धारा 69/351(2) बीएनएस में
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 22.05.2025 को वादिया ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अभियुक्त जावेद पुत्र अब्दूल समी निवासी मौहल्ला गुलजार नगर कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने वादिया को शादी का झाँसा देकर गलत कार्य किया व वीडियो बनाकर वायरल करने तथा जान से मारने की धमकी दी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0स0 167/2025 धारा 69/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही:-

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त जावेद पुत्र अब्दूल समी निवासी मौहल्ला गुलजार नगर कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

जावेद पुत्र अब्दूल समी निवासी मौहल्ला गुलजार नगर कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 सौरभ चौधरी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 2.का0 777 शुभम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 3का0 815 सचिन थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना बढापुर

दिनांक 04-06-2025

थाना बढापुर पुलिस ने मु0अ0सं0 90/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट मे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.06.2025 को थाना प्रभारी बढापुर द्वारा गैंगलीडर तालिब पुत्र शाकिर उर्फ भगैरा निवासी ग्राम चिलकिया थाना बढापुर जनपद बिजनौर व गैंग सदस्य नूरा उर्फ नूर आलम पुत्र मुन्ने उर्फ इशरार अहमद निवासी मौ0 सानियान कस्बा साहनपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने भौतिक व आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रतिबन्धित पशुओं का कटान कर लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न करने के संबंध मे थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 90/25 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत कराया गया ।



कार्यवाही :-

थाना बढापुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त नूर उर्फ नूर आलम पुत्र मुन्ने उर्फ इशरार अहमद निवासी ग्राम शाहअलीपुर कोटरा थाना बढापुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

नूर उर्फ नूर आलम पुत्र मुन्ने उर्फ इशरार अहमद निवासी ग्राम शाहअलीपुर कोटरा थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1-मु0अ0सं0 94/24 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 4/25 आयुध अधिनियम थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।

2-मु0अ0सं0 90/25 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. प्रभारी निरीक्षक मृदुल कुमार सिंह थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
2. आरक्षी सुधीर कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
3. आरक्षी पुष्पेन्द्र कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।